(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 110/2018

बउनवान

रोडीबाई पुत्री गोपाल पत्नि गणेश जाति भील निवासी कुम्भाखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

कालीबाई पुत्री गोपाल पत्नि गुलाबचन्द जाति भील निवासी कुम्भाखेडी तहसील छीपाबडौद जिला बारॉ (राज.)

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1624 दि. 27.11.2017 व आदेश दिनांक 22.6.2018 तहसीलदार छीपाबडौद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री रमेश चन्द गोयल अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 28.08.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 ग्राम दीगोद खालसा एवं तहसीलदार छीपाबडौद के आदेश दिनांक 22.06.2018 से अप्रसन्न होकर विरूद्व रेस्पोडेन्ट के अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दीगोद खालसा तहसील छीपाबडौद की भूमि खसरा नम्बर 1017/744 रकबा 10 बीघा के बाबत् तहसीलदार छीपाबडौद ने दिनांक 7.4.2016 को आदेश देकर इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 22.11.2017 को तस्दीक किया है। यह इन्तकाल अवैध है तथा आदेश दिनांक 7.4.2016 एवं दिनांक 18.6.2018 भी अवैध है। ये दोनो इन्तकाल आदेश अपीलांट की बिना जानकारी के न्यायालय मे कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान दिए गए है। उक्त इन्तकाल भी अवैध है एवं शून्य होने से निरस्तनीय है।

उक्त भूमि के बाबत् पहले इन्तकाल नम्बर 1151 दिनांक 24.12.2004 अपीलांट के पक्ष मे खातेदार गोपाल जी की वसीयत के आधार पर अपीलांट रोडीबाई के पक्ष मे खोला गया था। जिसके विरूद्व रेस्पोडेन्ट कालीबाई द्वारा उप जिला कलक्टर छबडा के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर उक्त न्यायालय ने दिनांक 31.1.2008 को पत्रावली को मृतक गोपाल के वारिसान की पुनः जॉच कर इन्तकाल खोले जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया था।

उक्त पत्रावली के प्रतिप्रेषित होने के बाद तहसीलदार छीपाबडौद ने दिनांक 23.5.2012 को उप जिला कलक्टर छबडा के आदेश के तहत जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा उसमे दोनो पक्षकारो को तलब कर जवाब लेकर शहादत के लिए तारीख नीयत की। अपीलांट की शाहादत ली गई एवं अपीलांट रोडीबाई की भी शहादत लेना प्रारम्भ किया। जिसमे अप्रार्थी की ओर से मांगीलाल के बयान लिए गए तथा दिनांक 3.1.2017 को मुकेश कुमार के भी बयान लिए गए। इस कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान ही दिनांक 7.4.2016

को तहसीलदार छीपाबडौद ने बिना यह देखे कि उनके यहॉ इन्तकाल की पुनः जांच कार्यवाही लम्बित है, इन्तकाल खोलने का आदेश दे दिया तथा उस आदेश के तहत इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 17.5.2016 खोल दिया गया। पत्रावली की आदेशिका की नकल पेश है। जिसमे दिनांक 7.4.2016 की आदेशिका मे तो यह अंकित है कि तहसीलदार साहब भ्रमण पर पधारे है। इसके बाद दिनांक 20.5.2016, 5.7.2016, 29.7.2016, 18.6.2016, 31.8.2016, 30.9.2016, 19.10.2016, 25.11.2016, 23.12.2016 पेशिया दी गई। दिनांक 3.1.2017 को अप्रार्थीया रोडीबाई की ओर से मुकेश गवाह के बयान लिए गए तथा उसके बाद दिनांक 27.1.2017, 16.2.2017, 16.3.2017, 19.5.2017, 9.6.2017, 11.7.2017, 9.8.2017, 19.9.2017 तारीख पेशियॉ साक्ष्य अप्रार्थी मे दी गई। जबकि तहसीलदार साहब ने न्यायालय मे उनके यहॉ पर जॉच लम्बित होने के दौरान ही दिनांक 7.4.2016 को बिना सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा इन्तकाल खोलने का आदेश दे दिया जो अवैधानिक है।

उक्त पत्रावली मे दिनांक 19.9.2017 को पत्रावली भी निकली और उसमे दिनांक 27.9.2017 साक्ष्य अप्रार्थी हेतु तारीख दी गई। परन्तु इसके बाद अप्रार्थीया रोडीबाई तहसील मे गई। परन्तु उस दिन पत्रावली नही निकली तथा उसे यह बताया गया कि पत्रावली ढूढकर आपको सूचना दे देगे तथा आगे की कार्यवाही करेगे। अपीलांट रोडीबाई इसके बाद हर बार पेशी पर तहसील मे गई और पत्रावली की तलाश करती रही परन्तु कोई पत्रावली नही निकली और यह कहते रहे कि पत्रावली ढूढकर सूचना दे देगे। अप्रार्थी रोडीबाई को दिनांक 18.6.2018 को यह जानकारी मिली कि इस पत्रावली मे कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान ही माननीय तहसीलदार साहब ने अनजाने कारणो से दिनांक 7.4.2016 को इन्तकाल खोलने का आदेश देकर दिनांक 27.11.2017 को इन्तकाल भी तस्दीक करवा दिया तब अपीलांट रोडीबाई ने माननीय तहसीलदार साहब को दिनांक 18.6.2018 को एक प्रार्थना पत्र स्वंय ने तथा एक प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उस प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार साहब ने यह आदेश दिया कि उक्त इन्तकाल की जॉच अधिकारी नियुक्त कर करवायेगे तथा जॉच होने के बाद आपको सूचना देकर सुनकर कोई आदेश पारित करेगे। परन्तु अपीलांट को बिना जानकारी के दिनांक 22.6.2018 को पत्रावली निकलवाकर उसमे अपीलांट के दोनो प्रार्थना पत्रो को निरस्त कर दिया। यह आदेश अवैध है क्योकि कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान बिना सूचना दिये पारित किये गये है जो निरस्त होने योग्य है।

तहसीलदार साहब छीपाबडौद द्वारा दिनांक 7.4.2016 को अपीलांट रोडीबाई को सुने बिना आदेश पारित किया गया है तथा उस पर इंतकाल नम्बर 1624 दिनांक 17.5.2016 खुलवाकर तस्दीक कराया है तथा दिनांक 22.6.2018 को अपीलांट को बिना सुने ही उसके प्रार्थना पत्रो को भी निरस्त कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर अपीलांट ने दिनांक 5.7.2018 को जानकारी मिलते ही नकल का आवेदन किया नकल मिलने पर यह अपील अवधि मध्य पेश कर, अपील प्रस्तुत करने मे हुयी देरी को माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन पृथक से प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण मे दिनांक 7.4.2016 के आदेश के तहत तथा इन्तकाल खोलने पर दिनांक 17.5.2016 को एकतरफा आदेश है तथा आदेश दिनांक 18.6.2018 भी बिना सुने दिया गया, एकतरफा आदेश है इसलिए भी न्यायालय श्रीमान को अपील सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त है। तहसीलदार छीपाबडौद के आदेश दिनांक 7.4.2016 इसके तहत खोले गये इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 तथा आदेश दिनांक 22.6.2018 को निरस्त कर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 09.08.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से इंतकाल संबधित मूल पत्रावली को तलब किया गया। जो इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। अपीलांट के अभिभाषक द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया। जो प्रकरण संख्या 9/2018 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेश दिनांक 9.8.2018 से स्वीकार किया गया। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित होने पर प्रकरण मे सर्वप्रथम उभयपक्ष की लिमिटेशन के बिन्दु पर बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, प्रकरण मे अंतिम ओर विस्तृत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस लिखित बहस को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम दीगाद खालसा की आराजी खसरा नम्बर 1017/744 रकबा 10 बीघा के बाबत् इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 खोला गया है। उसके विरूद्व अपील तथा इसी इन्तकाल की जानकारी मिलने पर अपीलांट द्वारा दिये प्रार्थना पत्र पर दिया आदेश दिनांक 22.6.2018 के विरूद्व यह अपील है। अपीलांअ रोडीबाई व कालीबाई सगी बहिने है। इनके पिता गोपाल के खाते की यह भूमि है। खातेदार गोपाल ने अपनी वसीयत दिनांक 30.5.2003 को रोडीबाई के ह कमे की थी। जो तस्दीक नोटेरी है के आधार पर गोपाल की मृत्यु पर इन्तकाल नम्बर 1151 दिनांक 24.12.2004 से रोडीबाई के खाते भूमि दर्ज की गई। इन्तकाल की अपील कालीबाई ने न्यायालय उप जिला कलक्टर छबडा के यहॉ की गई। जिन्होने आदेश दिनांक 31.1.2008 से दोनो पक्षो को सुनने का अवसर देकर साक्ष्य लेकर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड की। पत्रावली सन् 2012 मे तहसील मे पुनः आरम्भ हुई। तहसीलदार साहब कालीबाई के कुछ गवाहान के बयान बिना रोडीबाई को सुने तलब किये लिये गये बाद मे रोडीबाई को तलबी की सूचना जारी की गई। रोडीबाई के वकील दिनांक 19.9.2013 को उपस्थित हुये। कार्यवाही साक्ष्य अप्रार्थी रोडीबाई रखी, रोडीबाई की ओर से दिनांक 15.1.2014 को गवाह मांगीलाल के बयान लिए, पत्रावली बाकी साक्ष्य अप्रार्थी रोडीबाई रखी, इसके बाद दिनांक 3.1.2017 को रोडीबाई के गवाह मुकेश के जवाब लिए, पुनः शेष साक्ष्य रोडीबाई अप्रार्थीया रखी। इसके बाद 27.1.2017, 16.2.2017, 16.3.2017, 19.5.2017, 9.6.2017, 11.7.2017, 24.8.2017, 19.9.2017, 27.9.2017 तारीख नियत की, दिनांक 19.9.2017 को साक्ष्य अप्रार्थी मे दिनांक 27.9.2017 को पत्रावली रखी गई। परन्तु पत्रावली नही निकली तो बाद मे सूचना देकर बुला लेगे, कहकर रोडीबाई को भिजवा दिया। रोडीबाई ने अनेक बार जानकारी चाही परन्तु पत्रावली नही निकाली। बाद मे रोडीबाई को दिनांक 18.6.2018 को जानकारी मिली कि इस भूमि बाबत् इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 को तस्दीक कर दिया, जो दौराने लम्बित कार्यवाही एकतरफा मे खोला गया। तब रोडीबाई ने तहसीलदार साबह के समक्ष दिनांक 18.6.2018 को एक प्रार्थना पत्र स्वंय ने व एक प्रार्थना पत्र जर्ये वकील पेश किया तथा दौराने कार्यवाही खोले गये इन्तकाल को निरस्त करने का प्रार्थना की इस पर पुनः तहसीलदार साहब छीपाबडौद ने रोडीबाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.6.2018 को खारिज कर दिया इसलिए यह अपील पेश है।

आदेश दिनांक 22.6.2018 मे तहसीलदार साहब ने यह अंकन किया कि कालीबाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 7.4.2016 पेश दि0 8.9.2016 पर दिनांक 7.4.2016 दिया गया। इन्तकाल मे भी आदेश क्रमांक 1194 दि. 7.4.2016 दर्ज है। इस आदेश मे ही यह अंकित कि प्रार्थना पत्र दि. 7.4.2016 तहसीलदार के समक्ष दि. 8.9.2016 को पेश हुआ व

इन्तकाल दिनांक 17.5.2016 को दर्ज किया व दिनांक 27.11.2017 को रोडीबाई व कालीबाई के नाम दर्ज करने का आदेश दिया।

उक्त इन्तकाल की कार्यवाही जो दोनो पक्षकारो के मध्य तहसील मे चल रही थी, उसमे दिनांक 7.4.2016 की आदेशिका मे यह अंकित है कि तहसीलदार साहब भ्रमण पर पधारे है। जबकि तहसीलदार साहब उस दिन थे ही नही तब कैसे दिनांक 7.4.2016 को आदेश इन्तकाल का दे दिया वह आश्चर्यजनक बात है एवं स्पष्ट रूप से तहसील पटवारी एवं कालीबाई की मिली भगत स्पष्ट है। तहसीलदार साहब ने अपने आदेश दिनांक 22.6.2018 मे लिखा है कि हमने 194 दिन तक पत्रावली का अध्ययन किया, वह कौनसी पत्रावली है जिसका अध्ययन तहसीलदार साहब ने किया। तहसीलदार न्यायालय मे उप जिला कलक्टर साहब द्वारा रिमाण्ड पत्रावली मे तो साक्ष्य अप्रार्थीया रोडीबाई मे तारीख नियम थी तथा पत्रावली पेशियो पर निकाली ही नही जा रही थी। रोडीबाई अपीलांट को नुकसान पहुंचाने के लिए यह इन्तकाल जानबूझकर खोला गया है। दिनांक 27.11.2017 तारीख नियत थी। अपीलांट को बिना सुने इन्तकाल तस्दीक आदेश एकतरफा मे दिया। चूंकि इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 एकतरफा मे रोडीबाई को धोखा देकर बिना सुनवायी के खोला गया है। इसलिए इस न्यायालय को अपील सुनने का पूर्ण अधिकार है। अपीलांट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने लिखित बहस के बिन्दुओ को दौहराते हुये कथन किया कि इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 मृतक गोपाल के स्थान पर उसके वारिसान रोडीबाई व कालीबाई के नाम विधिवत रूप से खोला गया है। जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। रोडीबाई ने जिस आदेश के विरूद्व अपील की है, उसकी जानकारी दिनांक 5.7.2018 को हो गयी थी ओर अपील दिनांक 17.7.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील आदेश दिनांक 27.11.2017 स्पष्टतः बैरून मियाद होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि दिनांक 5.7.2018 से दिनांक 17.7.2018 तक के प्रत्येक दिन की डिले को अपीलांट द्वारा स्पष्ट नही किया गया है। अतः किसी भी सूरत मे यह डिले कण्डोन नही की जा सकती है। यह कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील मे इन्तकाल नम्बर 1151 दिनांक 24.12.2004 को निरस्त करते हुये पूर्व मे दिया गया आदेश एस.डी.ओ. पूर्णतः विधि सम्मत एवं न्यायाधीन था ओर किसी भी प्रकार की अवैधता उक्त आदेश द्वारा नही की गयी। अतः अपील निरस्त फरमायी जानी चाहिये थी। यह कि अपीलांट द्वारा इस अपील मे दो आदेशो को अपीलांट द्वारा चुनौती दी गयी है, जो किसी भी सूरत मे चलने योग्य नही होने से अपील चलने योग्य नही है। दिनांक 7.4.2016 के तहत खोला गया इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 एवं आदेश दिनांक 22.6.2018 को निरस्त करने की इस्तदुआ अपीलांट ने अपनी अपील मे जो की, जो विधिसम्मत नही होने से निरस्तनीय है। यह तथ्य स्वीकार है कि गोपाल की दोनो लडकिया रोडीबाई व कालीबाई है, जिनके नाम इन्तकाल खोलने का आदेश उप जिला कलक्टर छबडा द्वारा दिनांक 31.1.2008 को दिया गया है तथा उसी आदेश की पालना मे इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 को खोला गया है। जो किसी भी प्रकार से निरस्तनीय नही है। उप जिला कलक्टर छबडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.1.2008 के आदेश के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अपील नही की गयी है। वर्तमान अपील जो की गयी है। जो इन्तकाल नम्बर 1624 के विरूद्व की गयी है। जो निरस्तनीय होने से अपील अपीलांट निरस्त फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकारान की बहस सुनी उस पर मनन किया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का एवं समस्त रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा इन्तकाल नंबर 1624 दिनांक 27.11.2017 ग्राम दीगोद खालसा तस्दीक किया गया है एवं आदेश दिनांक 22.6.2018 से रोडीबाई के दोनो प्रार्थना पत्र निरस्त किये गये है। जिसकी अपील अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है। जिसमे उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई ओर अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त इंतकाल से संबंधित मूल पत्रावली का अवलोकन से पाया गया, जिससे पाया गया कि अपीलांट रोडीबाई एवं रेस्पोडेन्ट कालीबाई पुत्रिया गोपाल भील की है।

उक्त इंतकाल की अपील अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे 8 माह बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गई है ओर लिमिटेशन के बिन्दु पर उभयपक्ष की सर्वप्रथम बहस सुनी जाकर, लिमिटेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ही प्रकरण मे विस्तृत बहस सुनी गई है। इसमे अपीलांट की लापरवाही दृष्टिगोचर नही होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट रोडीबाई को न्याय के विधिक सिद्वान्तो के अनुरूप सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया जाना पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 1624 दिनांक 27.11.2017 ग्राम दीगोद खालसा निरस्त किया जाता है ओर तहसीलदार छीपाबडौद को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समान रूप से न्याय के विधिक प्रावधानो के अनुरूप सुनवाई का अवसर प्रदान कर, गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय अभिलिखित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.09.25 16:40:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: